न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/169 **दायरा दिनांक : 14.10.2024**

उनवान

सुरेश चन्द जैन पुत्र ख्याली चन्द जैन बर्खास्त कार्मिक कार्यालय सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक, बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

सरकार जर्ये उपवन संरक्षक बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह प्रार्थना पत्र
जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.12.2025**

यह प्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 01/2019 निर्णय दिनांक 28.08.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 पेश किया और यह कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध विभागीय गबन की राशि 31,82,725.80/– रूपये मय आगे का ब्याज व खर्चे काबिल वसूली योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 28.08.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत उपवन संरक्षक, बारां द्वारा प्रपत्र 3 पर राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत 31,82,725.80/– रूपये की वसूली हेतु दिनांक 01–01–1988 से 31–12–1991 की बताकर मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज बताया जाकर प्रस्तुत की गई किन्तु उपवन संरक्षक, बारां द्वारा यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन विभिन्न कार्यवाहियों का क्या परिणाम रहा तथा उक्त प्रकरणों में अपीलांट के अतिरिक्त अन्य किस किस को सहअभियुक्त बनाया गया था इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रकार उपवन संरक्षक, बारां द्वारा केवल राजनैतिक प्रभाव में सहअभियुक्तों व विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी जबकि जांच में कहीं भी यह प्रमाणित नहीं है कि दिनांक 01–01–1988 से 31–12–1991 तक अपीलांट विभाग में तेन्दू पत्ते के इंचार्ज के रूप में कार्यरत रहा था, इस प्रकार का कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भूल की गई है व कठोर रूख अख्तियार करते हुये निर्णय दिनांक 28–08–2024 विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई और न कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाया गया जबकि बहस से पूर्व जवाब पेश होने के पश्चात रेस्पोडेंट व अपीलांट की साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है जबकि अपीलांट द्वारा पूर्व मे जिला कलेक्टर, बारां के न्यायालय में विचाराधीन 1/2001 व 2/2002 बउनवानी मण्डल वन अधिकारी, बारां बनाम सुरेशचन्द्र जैन पी.डी.आर कार्यवाहियां न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां द्वारा दिनांक 19–04–2005 को निरस्त की गई थी जिनमें प्रकरण संख्या 1/2001 में राशि 38,62,805/– व प्रकरण सं0 2/2002 में राशि 28,28,227/– रूपये वसूली बाबत इन्हीं आधारों पर पेश की गई थी जो विधिवत सुनवाई कर तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा दिनांक 19–04–2005 को निरस्त फरमाई गई जिसकी अपील वन मण्डल अधिकारी, बारां द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील संख्या 239/2005 व 240/2005 पेश की गई जो दोनों अपीले समायोजित कर एक साथ निर्णित करते हुये वन मण्डल अधिकारी, बारां की अपीले दिनांक 14–08–2008 को निरस्त फरमाई गई जिसकी अपील वन मण्डल अधिकारी, बारां द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में पृथक पृथक दो अपीले पेश की गई जो माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा को लौटायी गई। उक्त निर्णयों की नकले भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका कोई उल्लेख अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का ठीक प्रकार से विवेचन न करके मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–08–2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा एक निर्णय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ०जा० जनजाति (अ.नि.प्र) बारां द्वारा अपील संख्या 37/2017 में दिनांक 25–10–2023 को निर्णय पारित करते हुये सम्पूर्ण तथ्यों को गौर करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 729/2004 अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 477ए के अपराधों से दोष मुक्त घोषित किया गया है। उक्त निर्णय की प्रति भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–08–2024 पारित किया गया है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न ही जांच अधिकारी के बयान लेखबद्ध किये गये और न किसके द्वारा जांच की गई उस अधिकारी का कोई विवरण नहीं लिया गया केवल दस्तावेजों की फोटो कोपी पेश की गई है जबकि मूल दस्तावेज व मूल जांच को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये था व मूल जांच व मूल रिकार्ड पेश होने के बाद उसके खण्डन में अपीलांट की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना चाहिये था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रिकार्ड तलब नहीं किया गया, न अपीलांट की साक्ष्य लेखबद्ध की गई इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुये निर्णय दिनांक 28–08–2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया गया है सहायक कर्मचारी कार्यालय उपवन संरक्षक, बारां में अपीलांट को कर्मचारी बताया गया है जबकि ऐसा कोई रिकार्ड या कार्यालय आदेश अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 173/99 दिनांक 17–09–1999 अपीलांट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना क्रमांक 172/99 दिनांक 17–09–1999 में अपीलांट के साथ बी.एम. अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना क्रमांक 183/1999 दिनांक 22–09–1999 में अपीलांट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 166/99 दिनांक 16–09–1999 अपीलांट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/99 दिनांक 19–09–1999 में अपीलांट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2000 दिनांक 11–2–2000 में अपीलांट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 167/99 दिनांक 16–09–1999 में अपीलांट के साथ गोपाल सिंह वन सरंक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 164/99 दिनांक 14–09–1999 में अपीलांट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 171/99 दिनांक 17–09–1999 में अपीलांट के साथ बी० एम०. अग्रवाल वन मण्डल, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 155/99 दिनांक 10–09–1999 में अपीलांट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 156/99 दिनांक 10–09–1999 अपीलांट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 159/99 दिनांक 13–09–1999 में अपीलांट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी व गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 167/99 दिनांक 16–09–1999 में अपीलांट के साथ बी० एम० अग्रवाल व गोपालसिह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 176/99 दिनांक 18–09–1999 में अपीलांट के साथ वेंकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी व गिरिराज प्रसाद प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 157/99 दिनांक 10–09–1999 में अपीलांट के साथ गोपालसिंह सहायक वन संरक्षक बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 26/2000 दिनांक 11–02–2000 में अपीलांट के साथ गोपालसिंह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 158/99 दिनांक 10–09–1999 में अपीलांट के साथ बी०एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी, बारां व

(दीप्ति सम्बन्ध मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आर०के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 181/99 दिनांक 20–09–1999 में अपीलांट के साथ वेकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 160/99 दिनांक 13–09–1999 में अपीलांट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 175/99 दिनांक 18–09–1999 में अपीलांट के साथ आर० के० गोवर वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 179/99 दिनांक 20–09–1999 में अपीलांट के साथ वेकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 162/99 दिनांक 14–09–1999 में अपीलांट के साथ कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी ग्वालियर, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 28/2000 दिनांक 11–02–2000 मे अपीलांट के साथ वेकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी, बारां प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 180/99 दिनांक 20–09–1999 में अपीलांट के साथ कृष्णपाल सिंह, निवासी महुआ उत्तर प्रदेश व वेकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी, बारां सहअभियुक्त के रूप में विभिन्न एफ. आई. आरों में बताया गया है इसके संदर्भ में उपवन संरक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत की गई कार्यवाही में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया व उक्त प्रकरणों का अपीलांट के साथ सहअभियुक्तों का क्या हुआ तथा जांच का निष्कर्ष क्या रहा कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर न करके, न कोई अपने निर्णय में कोई उल्लेख किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की गई है मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–08–2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में वन मण्डल अधिकारी या उपवन संरक्षक, बारां द्वारा यह कहीं नहीं कहा गया कि अपीलांट कब कब किस पद पर कार्यरत रहा तथा किस किस विभाग में कौन कौनसी कार्यवाहियों की देखरेख करता था जबकि नियमानुसार विभाग में हर 6 माह में आडिट की जाती है तो आडिट के दौरान उक्त प्रकरण विभाग की जानकारी में क्यों नहीं आया तथा इतने अंतराल के बाद किस प्रकार से अपीलांट को उक्त प्रकरण में आरोपित बताया गया है, कहीं भी स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है इसलिये उपवन संरक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही केवल विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से केवल मात्र अपीलांट को फंसाया गया है इस प्रकार उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपवन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–08–2024 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–08–2024 प्रकरण सं० 1/2019 बउनवान सरकार जर्ये उपवन संरक्षक, बारां बनाम सुरेश चन्द्र जैन प्रार्थना पत्र जन मांग वसूली अधिनियम 1952 निरस्त फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि उपवन संरक्षक, बारां द्वारा प्रपत्र 3 पर राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत्त 31,82,725.80/– रूपये की वसूली हेतु दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1991 तक बताकर मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जे बताकर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय बारां में उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई। जो प्रकरण संख्या 1/2019 दर्ज कर रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन ना करते हुये गलत रूप से दिनांक 28.08.2024 को पी०डी०आर० कार्यवाही स्वीकार कर अपीलान्ट के विरूद्ध राशि 31,82,725.80/– रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय दिनांक 28.08.2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वरिष्ठ अधिकारियों को बचाये जाने के लिये गलत रूप से उक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जबकि प्रथम सूचना कमांक जो भिन्न–भिन्न दर्ज हुई हैं उनमें अपीलान्ट के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी जो समय समय पर नियुक्त थे उनको अभियुक्त बनाया गया है किन्तु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विचाराधीन प्रकरण में से प्रथम सूचना कमांक 159/1999 में दिनांक 20.03.2025 को, प्रथम सूचना कमांक 161/1999 में दिनांक 26.11.2024 को, प्रथम सूचना कमांक 162/1999 में दिनांक 31.01.2025 को, प्रथम सूचना कमांक 168/1999 में दिनांक 18.12.2024 को, प्रथम सूचना कमांक 172/1999 में दिनांक 08.04.2025 को, प्रथम सूचना कमांक 175/1999 में दिनांक 03.04.2025 को, प्रथम सूचना कमांक 176/1999 में दिनांक 11.03.2025 को, अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है। विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी जबकि जांच में कहीं भी यह प्रमाणित नहीं है कि दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1991 तक अपीलान्ट विभाग मे तेन्दू पत्ते के इन्चार्ज के रूप में कार्य कर रहा है इस प्रकार का कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की है तथा कठोर रूख अख्तियार करते हुये निर्णय दिनांक 28.08.2024 को पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष की साक्ष्य नहीं ली गई और ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जनमांग वसूली की कार्यवाही प्रस्तुत होने के बाद जवाब प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के बाद सीधी पत्रावली को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बहस में नियत किया गया है जो विधि विरूद्ध प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय बारां के न्यायालय मे विचाराधीन पी.डी. आर. कार्यवाहियां कमांक 1/2001 व 2/2002 बउनवानी मण्डल वन अधिकारी बारां–बनाम सुरेशचंद जैन, न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां में निर्णय दिनांक 19.04.2005 को निरस्त करते हुये निर्णीत की गई है जिसमें प्रकरण संख्या 1/2001 मे राशि 38,62,805/– रूपये व प्रकरण संख्या 2/2002 में राशि 28,28,277/– रूपये वसूली बाबत इन्हीं आधारों पर पेश की गई थी। जो विधिवत सुनवाई कर तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा दिनांक 19.05.2005 को निरस्त फरमायी गई थी। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम सूचना संख्या 729/2004 अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 477 ए में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति बारां द्वारा अपील संख्या 37/2017 में दिनांक 25.10.2023 को सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करते हुये अपीलान्ट को दोषमुक्त घोषित किया गया है इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है तथा मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.08.2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना ही जांच अधिकारी के बयान लेखबद्ध किये गये और न किसके द्वारा जांच की गई उस अधिकारी का कोई विवरण दिया गया। केवल दस्तावेज की फोटो कॉपी पेश की गई है जबकि मूल दस्तावेज व मूल जांच को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये था व मूल जांच व मूल रिकार्ड में पेश होने के बाद उसके खण्डन में अपीलान्ट की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना चाहिये था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रिकार्ड तलब नहीं किया गया और ना ही अपीलान्ट की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.08.2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया गया है सहायक कर्मचारी कार्यालय वन संरक्षक बारां में अपीलान्ट को कर्मचारी बताया गया है जबकि ऐसा कोई रिकार्ड या कार्यालय आदेश अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 173/99 दिनांक 17.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 172/99 दिनांक 17.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 172/99 दिनांक 17.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी. एम. अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 183/99 दिनांक 22.09.1999 में अपीलान्ट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 166/99 दिनांक 16.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 161/99 दिनांक 19.09.1999 में अपीलान्ट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 27/2000 दिनांक 11.02.2000 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 167/99 दिनांक 16.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 164/99 दिनांक 14.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 171/99 दिनांक 17.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 155/99 दिनांक 10.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 156/99 दिनांक 10.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 159/99 दिनांक 13.09.1999 में अपीलान्ट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी व गोपाल सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 167/99 दिनांक 16.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां, व गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 176/99 दिनांक 18.09.1999 में अपीलान्ट के साथ वेंकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी बारां व गिरिराज प्रसाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 157/99 दिनांक 10.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 26/2000 दिनांक 11.02.2000 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह वन संरक्षक अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 158/99 दिनांक 10.09.1999 में अपीलान्ट के साथ बी० एम० अग्रवाल वन मण्डल अधिकारी बारां व आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 181/99 दिनांक 20.09.1999 में अपीलान्ट के साथ वेंकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 160/99 दिनांक 13.09.1999 में अपीलान्ट के साथ गोपाल सिंह सहायक वन संरक्षक अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 175/99 दिनांक 18.09.1999 में अपीलान्ट के साथ आर० के० ग्रोवर वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 179/99 दिनांक 20.09.1999 में अपीलान्ट के साथ वेंकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 162/99 दिनांक 14.09.1999 में अपीलान्ट के साथ कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी ग्वालियर, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 28/2000 दिनांक 11.02.2000 में अपीलान्ट के साथ वेकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी बारां, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 180/99 दिनांक 20.09.1999 में अपीलान्ट के साथ कृष्णपाल सिंह, निवासी महुआ उत्तरप्रदेश व वेंकटेश शर्मा वन मण्डल अधिकारी बारां सहअभियुक्त के रूप में विभिन्न एफ० आई० आर० में बताया गया है इसके संदर्भ मे उपवन सरंक्षक बारां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत की गई कार्यवाही में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया व उक्त प्रकरणों का अपीलान्ट के साथ सहअभियुक्तों का क्या हुआ तथा जांच का निष्कर्ष क्या रहा कहीं भी अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर न करके एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपने निर्णय मे कोई उल्लेख न करके भारी भूल की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की गई है और मनमाना विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.08.2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में वन मण्डल अधिकारी या उपवन संरक्षक बारां, यह कहीं नहीं कहा गया कि अपीलान्ट कब से कब किस पद पर कार्यरत रहा तथा किस किस विभाग में कौन कौनसी कार्यवाहियों की देखरेख करता था। जबकि नियमानुसार विभाग में हर 6 माह में ऑडिट की जाती है ऑडिट के दौरान उक्त प्रकरण विभाग की जानकारी में क्यो नहीं आया तथा इतने अन्तराल के बाद किस प्रकार से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में आरोपित बताया गया है कहीं भी स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है इसलिये उपवन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही केवल विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से केवल मात्र अपीलान्ट को फंसाया गया है इस प्रकार उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपवन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 बउनवान उपवन संरक्षक, बारां बनाम– सुरेश चंद जैन निर्णय दिनांक 28.08.2024 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पैरा सं. 1 अस्वीकार है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारा द्वारा दिनांक 28.08.2024 को पारित किया गया वो पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण/विवेचन कर न्याय की मंशा से किया गया है। पैरा सं. 2 अस्वीकार है, प्रकरण में अपीलांट पर जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई है। पैरा सं. 3 आंशिक स्वीकार है। न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण सं. 1/2001 व 2/2002 में व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रकरण सं. 239/2005 व 240/2005 में वसूली कार्यवाही मात्र अग्रिम जांच व विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने से स्थगित की थी। पैरा सं. 4 कानूनी है। पैरा सं. 5 स्वीकार है। पैरा सं. 6 आंशिक स्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां द्वारा दिनांक 28.08.2024 निर्णय न्याय की मंशा से विधि अनुसार किया गया। पैरा सं. 6 के शेष तथ्य जिसमें विभिन्न एफ.आई.आर. अपीलांट के विरूद्ध दर्ज की गई, स्वीकार है। पैरा सं. 7 कानूनी है। पैरा सं. 8 कानूनी है। पैरा सं. 9 श्रीमान के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। पैरा सं. 10 बजूआत वक्त बहस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

से सम्बन्धित है। अतः सलंग्न दस्तावेज, न्यायिक निर्णय व वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी तेन्दू पत्ता लिपिक के पद पर दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1991 तक कार्यरत रहा है। कार्यालय वन संरक्षक पूर्ववृत, कोटा के विशेष जांच प्रतिवेदन 2/2002–03 द्वारा निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बारां पूर्व के कार्यालय के राजस्व लेखे अवधि 01.01.1988 से 31.12.1991 में पायी गयी राजस्व हानि के लिए अप्रार्थी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर गबन की गई विभागीय राशि 31,82,725.80/– रूपये मय ब्याज वसूल करने हेतु जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

विचारण न्यायालय में प्रतिवादी सुरेशचन्द की ओर से जर्ये अधिवक्ता दिनांक 24.06.2019 को जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि जिस जांच के तहत उक्त रिकवरी करने का नोटिस जारी किया गया है। उसके संदर्भ में कभी भी किसी भी जांच में अप्रार्थी को ना ही बुलाया गया, ना ही कोई सूचना दी गई। न किसी वर्ष का कितनी कितनी राशि का अंतर है, यह कही भी अंकित नहीं किया गया है। अतः जनमांग वसूली का प्रमाण पत्र अप्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना नोटिस जारी किये अवैधानिक होने से अस्वीकार व निरस्तनीय है। पूर्व में भी श्रीमान् के न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2001 व 02/2002 बउनवान मण्डल वन अधिकारी बारां बनाम सुरेश चन्द्र जैन में कार्यवाही पेश हुई जो श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2005 को जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण निरस्त किया जाता है, का आदेश उक्त दोनों प्रकरणों में पारित किया गया है। अतः अप्रार्थी को जारी नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

उक्त दावे में विचारण न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी श्री सुरेशचन्द्र जैन पुत्र श्री ख्यालीचन्द जैन, बर्खास्त कार्मिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय उप वन सरंक्षक बारां, जिला बारां (राज0) से राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952, के तहत् राशि 31,82,725.80/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किया है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में अप्रार्थी अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात साक्ष्य नहीं ली गई और न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। विचारण न्यायालय द्वारा ना ही जांच अधिकारी के बयान लेखबद्ध किये गये केवल दस्तावेजों की फोटोकापी के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए निर्णय दिनांक 28.08.2024 पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन अनुसार अप्रार्थी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 06.05.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को आगामी तारीख पेशी में अप्रार्थी अपीलांट को अपने जवाब को साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना सीधे अंतिम बहस हेतु नियत की गई। बहस की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.07.2024 को पैरोकार वन विभाग द्वारा फर्द के साथ दस्तावेजात पेश किये जिसकी फोटोकापी वकील अप्रार्थी को दिलायी जाकर दस्तावेज शामिल फाईल किये गये। पैरोकार वन विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2024 को फर्द के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये वे समस्त दस्तावेज फोटो प्रतियां हैं, जिन्हें किसी सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है। संलग्न तथ्यात्मक विवरण पर किसी भी विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इन दस्तावेजों के सन्दर्भ में भी अप्रार्थी अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने जिस विभागीय जांच के आधार पर अप्रार्थी अपीलांट को दोषी मानते हुए निर्णय पारित किया, उस जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित कॉपी भी विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत लिखित बहस के पैरा नं. 2 में यह अंकित किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के विचाराधीन प्रकरणों में से प्रथम सूचना क्रमांक 159/1999 में दिनांक 20.03.2025 को, प्रथम सूचना क्रमांक 161/1999 में दिनांक 26.11.2024 को, प्रथम सूचना क्रमांक 162/1999 में दिनांक 18.12.2024 को, प्रथम सूचना क्रमांक 172/1999 में दिनांक 08.04.2025 को, प्रथम सूचना क्रमांक 175/1999 में दिनांक 03.04.2025 को, प्रथम सूचना क्रमांक 176/1999 में दिनांक 11.03.2025 को पारित निर्णयों में अपीलांट को दोष मुक्त किया जा चुका है। अभिभाषक अपीलांट ने इन निर्णयों की फोटो प्रतियां पेश की है। इन सभी निर्णय के माध्यम से अपीलांट को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है, परन्तु निर्णयों की प्रमाणित नकल एवं आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के अभाव में इन्हें विधिक रूप से स्वीकार कर निर्णय का आधार बनाना विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पश्चात अप्रार्थी अपीलांट को अपना पक्ष साबित करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं करने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हुए हम अपीलाधीन निर्णय को अपील के इस स्तर पर खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 खारिज किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वन विभाग से प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित नकल प्राप्त कर, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय में दिनांक 17.02.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा